न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 **जनपद – कानपुर देहात।**
सत्र वाद संख्या- 1862/2024
राज्य **बनाम** उमेश

नाम साक्षीः **डा० सत्य प्रकाश दीक्षित पुत्र राजकिशोर दीक्षित**	**अपराध संख्या-150/2024**
उम्रः लगभग 43 वर्ष, **पेशाः चिकित्सक**	**धारा-** **115 (2), 352, 351(2), 105** **भारतीय न्याय संहिता**
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः **मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय,** **जनपद-कानपुर नगर**	**थाना-शिवराजपुर,** **कानपुर नगर।**

<u>दिनांकः-20.03.2026</u>

मैं **साक्षीः डा० सत्य प्रकाश दीक्षित पुत्र राजकिशोर दीक्षित, उम्रः लगभग 43 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय, जनपद-कानपुर नगर** यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि......

1. दिनांक 22.08.2024 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस कानपुर नगर में थी। मृतक गेंदनलाल पुत्र मन्नू निवासी-ग्राम मुस्ता, थाना-शिवराजपुर, उम्र करीब 70 वर्ष के शव को मुख्य आरक्षी 1282 रामशिरोमणि थाना शिवराजपुर पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस लेकर आये थे।

2. पुलिस प्रपत्र के अनुसार मृतक दिनांक 20.08.2024 को समय 08:26 PM पर भर्ती हुआ था और दिनांक 21.08.2024 को समय 07:32 AM पर उसकी मृत्यु हो गयी थी।

3. मेरे द्वारा दिनांक 22.08.2024 की सुबह 10:30 बजे मृतक के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरु की गयी थी। मृतक की लम्बाई 157 से०मी० थी। कदकाठी औसत था। बायें पैर के घुटने से दस से०मी० नीचे कटे का निशान था जिस पर अस्पताली पट्टी बंधी हुई थी। मृतक के शरीर से अकड़न गर्दन से पास हो चुकी थी व शरीर के शेष भाग में मौजूद थी। दोनों आँखें आंशिक खुली थीं। मुँह बंद था।

3. **<u>मृत्यु पूर्व चोटेंः-</u>**

(I) ABRASION 2 X 1 CM ON BACK LEFT ELBOW JOINT.

(II) CONTUSED SWELLING 15 X 8 CM UPPER PART OF RIGHT THIGH. इसके नीचे की हड्डी टूटी हुई थी और रक्त जमा था।

(III) CONTUSION OVER RIGHT GREAT TOE.

(IV) ABRASION 1 X 1 CM ON RIGHT KNEE.

4. **<u>आन्तरिक परीक्षणः-</u>**

मस्तिष्क कंजेस्टेड था। दांत 12/14 मौजूद थे। दोनों फेफड़े कंजेस्टेड थे जिनका विच्छेदन करने पर फेफड़ों में स्वैलिंग दिखी थी व रक्त जमा था। हृदय का दायाँ चैम्बर भरा हुआ व बायाँ चैम्बर खाली था। आमाशय में 50 ग्राम तरल पदार्थ व अधपचा भोजन मौजूद था। छोटी आंत आंशिक गैस से भरी हुई थी। बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद था। यकृत, तिल्ली व दोनों किडनी कंजेस्टेड थीं।

5. **<u>अभिमतः-</u>**

मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग आधे से डेढ़ दिन के बीच की थी। मृतक की मृत्यु SHOCK DUE TO ANTE-MORTEM INJURY के कारण हुई थी। मृतक को आयीं चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं। मृतक को आयीं चोटें HARD AND BLUNT OBJECT से आना संभव हैं।

6. मृतक के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 22.08.2024 को समय 10:30 AM पर शुरु की थी और उसी दिन 11.05 AM पर समाप्त की गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ के कालम-4 पर दिनांक 22.08.2024 सहवन अंकित करना छूट गया था। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-5</u>** अंकित किया गया।

7. शव का पोस्टमार्टम किये जाने के पश्चात मृतक गेंदनलाल का शव, इन्क्वेस्ट पेपर व कपड़े, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुख्य आरक्षी रामशिरोमणि को सुपुर्द कर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे।

8. विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा

9. मृतक के शरीर पर चार चोटें थीं। चोट सं०-01 बायें हाथ की कोहनी पर छिला हुआ था। चोट सं०-02 दायें पैर की जाँघ के ऊपरी हिस्से में खून जमा हुआ था और उसके अंदर की हड्डी टूटी हुई थी। चोट सं०-03 दायें पैर के अंगूठे पर खून जमी हुई सूजन थी। चोट सं०-04 दायें पैर के घुटने पर छिला हुआ था।

10. मृतक की उम्र लगभग 70 वर्ष थी हालांकि आयु का कोई प्रमाण नहीं दिया गया था।

11. मृतक को आयीं चोटें एक्सीडेंट होने पर भी आना संभव हैं। मृतक के शरीर पर उक्त चोटों के अलावा और कोई चोट नहीं थी।

12. दिनांक 22.08.2024 को मैंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। मृतक के शव को सीलसर्वमुहर अवस्था में मेरे पास पोस्टमार्टम हेतु लाया गया था।

13. पुलिस प्रपत्र के अनुसार मृतक की मृत्यु दिनांक 21.08.2024 की सुबह समय 07:32 AM पर हुई थी।

14. मृतक को आयीं चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया।

सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT